Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Total Pages - 48

Time : 3 Hours समय : तीन घंटे	Maximum Marks : 100 पूर्णांक : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के ऊपर दिये गये फ्लैप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा किसी भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा छलपूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 'अ' और 'ब' दो भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में से किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये है।
5. भाग 'अ' में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार उत्तर विकल्प दिये गये है। अभ्यर्थी विकल्पों के सामने बने खानों में से सही उत्तर के सामने बने खाने में सही का चिन्ह ✓ लगाकर स्पष्ट रूप से चिन्हित करें, किसी अन्य स्थान पर नहीं। प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है। एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा।
6. भाग 'ब' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखे जाहें और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक में नहीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
8. उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। फ्लैप पर उत्तर के माध्यम के खाने में उसी भाषा के विकल्प को चिन्हित करें।
9. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाए।
10. यदि प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो अविलम्ब वीक्षक के ध्यान में लाकर उसे बदलवा लें अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
11. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case the candidature of the candidate shall be rejected for the entire examination.
3. If a candidate is found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The question paper is divided into two parts, A and B. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. There are Twenty (20) objective type questions in Part 'A' of the "Question Paper-cum-Answer Book", each having four (4) alternative options. Candidate should clearly indicate the correct answer of objective type question by marking sign of correct ✓ in the box of right answer option amongst the boxes provided for against each option and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
6. The answers of the questions in the Part 'B' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
7. Candidates do not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
8. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking that language in box of medium of answer on the flap.
9. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
10. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
11. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Part-A / भाग–अ **Marks / अंक - 20**
Objective / वस्तुनिष्ठ

Note:-Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark.
नोटः–समस्त 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है।

Question No.1

Which Article of the Constitution of India prohibits providing of religious instructions in any educational institution wholly maintained out of the State Funds?

(1) Article 25
(2) Article 27
(3) Article 24
(4) Article 28

प्रश्न संख्या 1

राज्य–निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना भारत के संविधान का कौनसा अनुच्छेद निषेध करता है ?

(1) अनुच्छेद 25
(2) अनुच्छेद 27
(3) अनुच्छेद 24
(4) अनुच्छेद 28

Question No.2

'All the laws which are inconsistent with the fundamental rights, though become inoperative from the date of commencement of the Constitution, are not dead altogether. They are overshadowed by the fundamental rights and remain dormant.' This is known as :

(1) Doctrine of Pleasure.
(2) Doctrine of Pith and substance.
(3) Doctrine of Eclipse.
(4) Doctrine of Severability.

प्रश्न संख्या 2

'वह समस्त विधियां, जो मूलभूत अधिकारों से असंगत हैं, संविधान के लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती हैं किन्तु मृत नहीं होती हैं। वे केवल मूलभूत अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं और सुशुप्तावस्था में रहती हैं।' यह सिद्धान्त कहलाता है :

(1) प्रसाद का सिद्धान्त।
(2) सार एवं तत्व का सिद्धान्त।
(3) ग्रहण का सिद्धान्त।
(4) पृथक्करणीयता का सिद्धान्त।

Question No.3

Under Section 47 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, for enforcement of Foreign Awards, "Court" means:

(1) The principal Civil Court.
(2) Supreme Court of India.
(3) High Court.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 3

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47 के अन्तर्गत विदेशी पंचाट् के प्रवर्तन के लिए, 'न्यायालय' से अभिप्रेत है :

(1) प्रधान सिविल न्यायालय।
(2) भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
(3) उच्च न्यायालय।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 4

A decree passed in a summary suit under Order XXXVII CPC can be set aside by the court:

(1) For any sufficient cause.
(2) Under special circumstances.
(3) Under any circumstance.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 4

आदेश 37 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक संक्षिप्त दावे में पारित डिक्री को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है :

(1) किसी पर्याप्त हेतुक के लिए।
(2) विशेष परिस्थितियों में।
(3) किसी भी परिस्थिति में।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 5

Under Section 171 of the Motor Vehicles Act, 1988, a Claims Tribunal may direct payment of simple interest in addition to the amount of compensation from:

(1) The date of accident.
(2) Not earlier than the date of making the claim.
(3) Not earlier than the date of award.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 5

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 171 के अन्तर्गत दावा अधिकरण प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त साधारण ब्याज संदाय करने का निर्देश दे सकेगा :

(1) दुर्घटना की दिनांक से।
(2) उस दिनांक से जो दावा करने की दिनांक से पहले की न होगी।
(3) उस दिनांक से जो पंचाट की दिनांक से पहले की न होगी।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 6

Where two persons have died in circumstances rendering it uncertain as to who survived the other, what presumption can be drawn under Section 21 of the Hindu Succession Act, 1956:

(1) Younger survived the elder.
(2) Elder survived the younger.
(3) No specific presumption.
(4) Both of them died simultaneously.

प्रश्न संख्या 6

जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो जिसमें यह अनिश्चित हो कि उनमें से कौन दूसरे का उत्तरजीवी रहा, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत क्या उपधारणा की जायेगी :

(1) कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।
(2) ज्येष्ठ कनिष्ठ का उत्तरजीवी रहा।
(3) कोई भी विनिर्दिष्ट उपधारणा नहीं।
(4) दोनों की मृत्यु एक साथ हुई।

Question No.7

Under the provisions of Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, a Hindu is not bound to maintain:

(1) His minor illegitimate child.
(2) His major legitimate child.
(3) His aged or infirm parents, who are unable to maintain themselves.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 7

हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक हिन्दू भरण–पोषण करने के लिए आबद्ध नहीं है :

(1) अपने अवयस्क अधर्मज का।
(2) अपने वयस्क धर्मज का।
(3) अपने वृद्ध एवं शिथिलांग जनकों का, जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 8

Under Registration Act, 1908, a document other than a Will can be accepted for registration if the same is presented for that purpose:

(1) Anytime after its execution.
(2) Within four months from the date of its execution.
(3) After six months from the date of its execution.
(4) After one year from the date of its execution.

प्रश्न संख्या 8

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत वसीयत से भिन्न कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहित किया जा सकता है यदि वह उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जाये :

(1) निष्पादन के बाद किसी भी समय।
(2) निष्पादन की दिनांक से चार माह के भीतर।
(3) निष्पादन की दिनांक से छः माह बाद।
(4) निष्पादन की दिनांक से एक वर्ष बाद।

Question No. 9

Where a person fraudulently representing that he is authorised to transfer certain immovable property, professes to transfer such property for consideration and subsequently acquires interest in the said property, such transfer:

(1) Shall be void.
(2) Shall operate.
(3) Shall be of no consequence.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 9

जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रत्यंजना करता है एवं तत्पश्चात् उक्त संपत्ति में हित अर्जित करता है, ऐसा हस्तानान्तरण :

(1) शून्य होगा।
(2) प्रवृत्त होगा।
(3) उक्त का कोई प्रभाव नहीं होगा।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 10

Where an instrument has been admitted in evidence, such admission can be called in question, on the ground that the instrument has not been duly stamped:

(1) At any stage of the suit.
(2) Shall not be called in question at any stage of the suit.
(3) At the time of final hearing of the suit.
(4) None of the above

प्रश्न संख्या 10

जहां कोई लिखत साक्ष्य में ग्रहित की गई है, ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है, को प्रश्नगत किया जा सकता है :

(1) वाद के किसी भी प्रक्रम पर।
(2) उस वाद के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
(3) वाद की अन्तिम सुनवाई के समय।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 11

Under Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961, where a memorandum of appeal is rejected on the ground that it was not presented within the time allowed by the law of limitation, how much of the fee shall be refunded?

(1) Full fee.
(2) One-fourth of the fee.
(3) One-half of the fee.
(4) No refund

प्रश्न संख्या 11

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, जहां अपील का ज्ञापन इस आधार पर नामंजूर किया जाता है कि उसे परिसीमा विधि के द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उपस्थापित नहीं किया गया था, कितनी फीस का प्रतिदाय किया जायेगा ?

(1) सम्पूर्ण फीस।
(2) एक–चौथाई फीस।
(3) आधी फीस।
(4) कोई प्रतिदाय नहीं।